

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0


प्रथम पक्ष - अनमोल कुमार बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 23/2022

द्वितीय पक्ष - विकास साहु बगैरह ।

आदेश की क्र सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
<p>1 28/11/22</p>	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 15/2022 दिनांक 04/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) अनमोल कुमार साहु उम्र 34 वर्ष पिता स्व0 महेश्वर साहु (2) बंजरग साहु उम्र 38 वर्ष पिता स्व0 महेश्वर साहु (3) सोनी देवी उम्र 34 वर्ष पति बजरंग साहु सभी ग्राम कोनबीर थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) विकास साहु उम्र 24 वर्ष पिता स्व0 राधेश्याम साहु (2) विशाल साहु उम्र 20 पिता स्व0 राधेश्याम साहु (3) प्रभावती देवी उम्र 40 वर्ष पति स्व0 राधेश्याम साहु तीनों ग्राम कोनेबीर थाना बसिया जिला गुमला (4) सुधीर साहु उम्र 54 वर्ष पिता स्व0 महेश्वर साहु (5) निलम देवी उम्र 47 वर्ष पति सुधीर साहु (6) विजय भूषण साहु उम्र 40 वर्ष पिता मनोहर साहु (7) दीपक साहु उम्र 29 वर्ष पिता हीरामन साहु सभी ग्राम कोनबीर उपर चौक थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा कोनबीर के खाता सं 06 प्लॉट सं0 317, रकबा 0.12 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p align="center">उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	


 अनुमण्डल दण्डाधिकारी
 बसिया (गुमला)।